

वकुलाय उपायपक्ष उप.।  
वकील डा.श्री. जवाब पेश करने हेतु  
उत्तर चाहते हैं जो - याचन में दिया  
जाकर पत्रावली दिनांक 26-09-2018 को  
पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

26-09-2018

वकुलाय उपायपक्ष उप.।  
वकील डा.श्री. जवाब पेश करने हेतु उत्तर  
चाहते हैं जो - याचन में दिया जाकर  
पत्रावली दिनांक 15-11-2018 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
पाली (राज.)

15.11.18

वकुलाय उपस्थि

श्रीमान S.D.O. साहब वीर आवश्यक राजकार्यों  
में व्यस्त होने से पेशा इत्यादि होकर पत्रावली  
दिनांक...14.2.19...को पेश है।

S.D.O. Pali

14.2.19

उपस्थित वीर विनयानुसार वीर  
व्यापक में उपस्थिति नहीं दे रहे हैं  
वैसा पत्रावली दि. 11.11.19 को पेश हो

वकील वीर वीर

11.04.2019

वकील उपायपक्ष उप.।  
वकील डा.श्री. ने धारा 23) के क्रमस्थान  
कार्रवाही अधिनियम, 1955 के तहत डा.श्री.  
पत्र को Not press किया है। वकील डा.श्री.  
डा.श्री. डा.पत्र को Not press कर दिये

Not  
press  
[Signature]

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जाने से डार्क के डा. फत्रा n/s 251 A  
R.T. Act, 1955 को खारिज किया जाता है।  
पत्रावली के अंत में हुक्म होकर दारपील  
दोस्त की जावे।

  
**सहायक कलेक्टर**  
वाली (राज.)